

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,
मध्यप्रदेश


कमांक/2/अवि./सेल-2/2018/457-K

भोपाल, दिनांक 25/04/2018

::आदेश::

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन "मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा, नियुक्ति एवं शर्ते, नियम 2002" में उल्लेखित प्रावधान के तहत पैरामेडिकल संविदा कर्मचारियों की संविदा अवधि में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक एक वर्ष की वृद्धि की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित



23/4/18

(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/2/अवि./सेल-2/2018/458-K

भोपाल, दिनांक 25/04/2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. विशेष सहायक मान. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की और माननीय मंत्री जी को अवगत कराये जाने हेतु अग्रेषित।
2. निज सचिव; प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग (नियम शाखा बी-6)।
5. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय मध्यप्रदेश।
6. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की और विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
10. आदेश नस्ति।



23/4/18

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,
मध्यप्रदेश